

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 17.12.2020

पी.एन.बी.बैंक मित्र से लूट की घटना कारित करने वाले 02 शातिर लुटेरे अवैध असलाह मय कारतूस, लूट के 5,000 रुपये व 01 अपाचे मोटरसाईकिल सहित थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी अनूपशहर श्री रमेश चन्द के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी म०निरीक्षक थाना अनूपशहर श्रीमती अरुण राय के नेतृत्व में दिनांक 16.12.2020 की रात्रि में व०उ०नि० सुनील कुमार गौतम मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र मे तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम लोधाई में लूट की घटना में संलिप्त दो अभियुक्तगण एक अपाचे मोटरसाईकिल पर ग्राम दोलतपुर की तरफ से तालविवियाना चौराहे की तरफ आने वाले है। इस सूचना पर थाना अनूपशहर पुलिस तत्काल तालविवियाना चौराहे पर पहुँचकर चैकिंग करने लगी। कुछ देर बाद एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये जिनको पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया गया तो अभियुक्तों द्वारा तेजी में मोटरसाईकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया गया तभी पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को लूटे गये 5,000 रुपये, 01 अपाचे मोटरसाईकिल व अवैध असलहा मय कारतूस आदि सहित समय करीब रात्रि 11:07 बजे गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. सोनू पुत्र बहोरी लाल निवासी ग्राम करनपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
2. रोकी पुत्र मिड्डन लाल निवासी ग्राम पारली थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 01 तमंचे 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस
- 2- 01 तमंचे 12 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस
- 3- लूट के 5,000 रुपये
- 4- 01 अपाचे मोटरसाईकिल

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के लुटेरे हैं जिनके द्वारा अपने एक अन्य के साथ मिलकर दिनांक 14.12.2020 को ग्राम लोधाई निवासी भारतभूषण जो पी.एन.बी. के बैंक मित्र के रुप में कार्य करते है के साथ लूट की घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना अनूपशहर पर मुअसं-633/20 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास जारी है। **उल्लेखनीय है कि घटना के वक्त पीड़ित ने 35,000 रुपये लूटना बताए थे लेकिन बाद में पीड़ित व अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ आदि से वास्तव में मात्र 12,000 रुपये लूटना पाया गया।**

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना अनूपशहर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्रीमती अरुणा राय प्रभारी म०निरीक्षक थाना अनूपशहर।
- 2- व०उ०नि० सुनील कुमार गौतम, उ०नि० प्रमोद कुमार
- 3- का० कुलदीप कुमार, का० सुनील कुमार, का० लोकेश कुमार